



कार्यालय

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली

सी.आर.बिल्डिंग, आई.पी.एस्टेट, नईदिल्ली-110002

आवेदन के लिए अधिसूचना- समय सीमा का विस्तार

1. आयकर विभाग, दिल्ली ने आई.टी.अधिनियम 1961 की धारा 142(2ए) के तहत विशेष लेखापरीक्षा करने के उद्देश्य से योग्य सीए संस्थाओं/फर्मों/एलएलपी के पैनल में शामिल होने के लिए इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता में 17.12.2021 को प्रकाशित विज्ञापन के तहत संदर्भ एफ.सं. अपर आयकर आयुक्त सीआईटी(मुख्यालय)(समन्वय)/142(2ए)/2021-22 दिनांक 14.12.2021, के द्वारा आवेदन आमंत्रित किये थे।

2. सभी पात्र सीए संस्थाओं/फर्मों/एलएलपी को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 12/01/2022 तक बढ़ा दी गई है।

(सौरभ कुमार शर्मा)

आयकर उपायुक्त (मुख्यालय) (समन्वय -1), दिल्ली

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (सीसीए), दिल्ली